Seventeenth Loksabha

>

Title: Request to regulate the Chit Fund Companies and serve deposits of investors.

श्री सी.पी. जोशी (चित्तौड़गढ़): **अध्यक्ष जी, मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का आपने अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद । मैं हजारों-लाखों लोगों की तकलीफ आपके सामने बयां कर रहा हूं । देश भर में कुछ आकर्षक चिटफंड कंपनियों ने कई निवेशकों से अपना पैसा इनवेस्ट करा लिया । किसी ने आरडी करा ली, किसी ने एफडी करा ली, यह सोचकर कि जब एफडी मैच्योर हो जाएगी, तो मैं मकान खरीदूंगा या अपने बच्चों की शादियां करूंगा । एक-एक पैसा सहेजकर व्यक्ति एजेंट के माध्यम से इनवेस्ट करता है और ये आकर्षक कंपनियां इन पैसों को या तो अपने या अपने किसी रिश्तेदार के नाम पर ट्रांसफर कर देती हैं । समय आने पर पता लगता है कि उस कंपनी के कार्यालय पर ताला लगा है । मैं ऐसे हजारों-लाखों लोगों की तकलीफों के संबंध में आपके सामने मांग कर रहा हूं कि ऐसी चिटफंड कंपनियों पर कठोर कार्रवाई करते हुए निवेशकों को पैसा लौटाया जाए । भविष्य में इस प्रकार की चिटफंड कंपनियां लोगों को गुमराह नहीं करें, ऐसा कोई कानून लाया जाए । मेरा आपके सामने यही आग्रह है ।**